UPGK010046312026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2019/2026

हरिनारायन यादव पुत्र स्व० भृगुनाथ यादव, निवासी ग्राम- चौतिसा, थाना- बड़हलगंज, जिला- गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 289/2025
अंतर्गत धारा- 103(1), 109 B.N.S. व धारा- 27/30 Arms Act
थाना- बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 01.07.2026

आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 289/2025, अंतर्गत धारा- 103(1), 109 B.N.S. व धारा- 27/30 Arms Act, थाना- बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03.05.2025 को समय लगभग 09.30 बजे रात में वादिनी के ससुर हरिनरायण यादव ने पारिवारिक विवाद में क्रोधित होकर जानबूझकर घर की चकी पर अपने लाइसेन्सी दो नाली बन्दूक से वादिनी के पति अनूप यादव व देवरानी सुप्रिया यादव को गाली मार दी, जिससे दोनों लोग गंभीर रूप से घायल होगये। दोनों को ईलाज हेतु सिमसी हास्पिटल बड़हलगंज से गोरखपुर रेफर किया गया। बी.आर.डी. मेडिकल कालेज पहुंचने पर वादिनी के पति अनुप की मृत्यु हो गयी तथा देवरानी का ईलाज चल रहा है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी बिलकुल निर्दोष है कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी को उपरोक्त वाद में साजिश कर फंसाया गया है। प्रार्थी 65 वर्ष से उपर का बुर्जुग व्यक्ति है, परिस्थितियों वश उसकी विवस्था का मजाक बनाकर उसे निरूद्ध करा दिया गया है। प्रार्थी अपनी मेहनत से होमगार्ड की नौकरी रोजमरा के आधार पर अपने दो पुत्रों अनुप यादव और जीत नारायण यादव को कलेजे से लगाकर पढाया लिखाया और इस क्रम में उसने मजदूरी भी किया। जब बच्चे बड़े हो गये तो किसी तरह इधर उधर निकल कर कमाने लगे तो यार दोस्तों के कहने पर शादी की बात चली इस क्रम में अनुप यादव की शादी कथित वादिनी नीतू यादव के रिश्तेदार जिनके अहसान से वशीभूत होकर अगुवा श्रीराम के कहने पर बिना किसी लेन देन के शादी किया था। शादी के पश्चात वादिनी नीतू पति अनूप को अपने बहकावे में लेकर अलग हो गयी और अपना

ऐशभार जीवन जीने लगी। इतनी जल्दी पक्षी भी पर नहीं बदलता जितनी जल्दी नीतू यादव ने अपना व्यवहार बदला और वह बीबी व पुत्र के साथ अलग रहने लगी और प्रार्थी ने अपने द्वारा अपनी मेहनत से बनाई हुयी चक्की भी सुपुर्द कर दि गयी थी लेकिन उसे अपने इस दुर्दिन का पता था कि वह इस तरह से बुजुर्गीयत का फायदा उठाकर उसे जेल में बंद करा देगी। वादिनी नीतू यादव एक दबंग परिवार की महिला है। जो सम्पत्ति के लिए इस स्तर तक गिर सकती है प्रार्थी ने सोचा तक न था। जबकि प्रार्थी के मरने के बाद सम्पति के मालिक स्वत उत्तराधिकार से पुत्र को प्राप्त हो ही जाता। परन्तु वह मकान और प्रार्थी के सड़क की जमीन जो किमती थी उसे अपने नाम कराने के लिए कई बार दबाव डाला लेकिन प्रार्थी बहाना बनाकर टाल जाता रहा और लज्जवशं किसी से शिकायत तक नहीं की। अचानक एक घटना में जिसे प्रार्थी ने किया ही नही है। उसे फंसा दिया गया जिसमें उसके बेटे अनूप यादव की मृत्यु हो गयी और एक बहू को चोट आ गयी। उस घटना में फर्जी रूप से अपने बहनोई गंगा यादव को साजिश मे लेकर एक मनगढन्त कपोलकल्पित कहानी गढ़ कर उसे फसा दिया और जेल में बंद करा दिया। उक्त वाद में वादिनी ने गंगा यादव जो उसके सगे बहनोई है जो अत्यन्त मनबढ़ व दबंग किस्म का व्यक्ति है। वह बड़े बड़े नेताओं के साथ रहता है। उसके पास पिस्टल भी है। उस पिस्टल के बल पर बडे बडे नेताओं के साथ रह कर सुरक्षा के नाम पर दबंगई करता है और जब भी वक्त बेवक्त पडा नीतू यादव की मदद करने के लिए खड़ा हो जाता और मौका पा कर प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं लिखकर मुकदमा दर्ज करवा दिया और प्रार्थी चिल्लाता रह गया और जेल चला गया। तबसे जेल में ही हैं। यही नहीं जेल में रहते प्रार्थी के विरूद्ध रात दिन एक कर गंगा यादव ने नीतू यादव से मिलकर एक तरफा आरोप पत्र तैयार कराकर प्रेषित करावा दिया। जब प्रार्थी को निःशुल्क अधिवक्ता श्री भगत गौड के बारे में न्यायालय द्वारा पैरवी सुनिश्चित कराई गयी तदोपरान्त सारी बाते बताई और उनसे न्याय दिलाने हेतु याचन किया तदोपरान्त यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त वाद मे नीतू यादव ने अपना साक्ष्य गंगा यादव के कहने पर सजा कराने के नियत प्रस्तुत किया परन्तु सच्चाई को नहीं रोक सकी और जिरह के दौरान जो सच्चाई प्रकट हुई उसका अवलोकन सूक्ष्मता से न्यायालय द्वारा किया जाना प्रार्थित है और यदि माननीय न्यायाल सुक्ष्मता से साक्ष्य की विवेचना सुनिश्चित करेगा तो न्याय के निर्णय तक पहुंचने में अत्यन्त मददगार होगा और परिस्थितीय स्वयं सच्चाई प्रकट कर देंगी।। वादिनी ने यहां तक अपने बयान में दर्शाया है कि घटना के वक्त अपने बुआ के यह शादी में गयी थी और गंगा यादव बुआ के यह शादी में थे और सूचना पाते ही गंगा यादव के साथ ही थाने गयी और गंगा यादव ही तहरीर घर से लिख कर ले गये थे और गंगा यादव ने घर पर ही उसका हस्ताक्षर बनवा लिया था और थाने पर दिया था उसने यहा तक बताया है कि उसके केवल हस्ताक्षर ही बनवाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादिनी के बयान और दरोगा को दिये गये बयान में अत्यंत विरोधाभास है। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के पति की निर्मम हत्या एवं देवरानी को गंभीर रूप से घायल कर उसकी हत्या का प्रयास किया गया है। अभियुक्त द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया गया है। अतः आवेदक/ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसर में वादिनी मुकदमा के पति अनूप यादव की हत्या करने का अभियोग है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। केस डायरी में अंकित साक्षीगण के बयान अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के पति/अपने पुत्र को अपनी बंदूक से गोली मारी गयी, जिसके ईलाज हेतु ले जाने पर उसकी मृत्यु हो जाना बताया गया है। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु मृत्युपूर्व आग्नेयास्त्र से आयी चोट के कारण हेमोरेजिक शॉक से होना बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल बंदूक भी बरामद किया जाना कहा गया है। प्रस्तुत मामला हत्या जैसा गंभीर अपराध से संबंधित है। मामले की विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभिकथित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त हरिनारायन यादव द्वारा मु०अ०सं०- 289/2025, अंतर्गत धारा- 103(1), 109 B.N.S. व धारा- 27/30 Arms Act, थाना- बड़हलगंज, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-01.07.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.07.01 16:11:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court